अनुसुची 21 - प्रपत्र संख्या 113

Samriddhi Properties India Private Ltd

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० 302 / 2019

चुँकि श्री समृद्धि प्रोपर्टीज इंडिया प्राइवेट लि० निदेशक श्री राम विनोद ला S/o सुरेन्द्र नारायण ला सा० सरूसभा हैदराबाद

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-89 से ता० 12-2-19 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। नहीं

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा - जलालपुर उर्फ घोई बाना सदर जि० दरभंगा							
	बाना नं० 602 खाता 122, 115, 50, 11, 392 908, 77, 392, 55, 60, 264, 616, 305 283, 266, 671, 778 खेसरा 1608, 1537 1538, 1546, 1599, 1542, 1543, 1545 1546/3082, 1618, 1620/3085, 1621, 1622 2348, 2358, 2359, 2351, 2349, 2355 2354, 2352, 2356, 2353, मात्र							
	2 कट्ठा 05 विघा 19 कट्ठा 01 धूर 13 कनमा मात्र							

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।

ज्ञाप सं०- 302 दिनांक- 20-2-19

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, Samriddhi Properties India Private Ltd. को सूचनार्थ।

जिला अवर निबंधक, दरभंगा।

20/2/19

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसका उल्लेख हो।

2. पटटे की दशा में पटटे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:-

(हस्ताक्षर) Santosh Kumar :

(पदनाम) R. Keepar लिपिक :

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) :

(पदनाम) लिपिक :

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख 20/02/19 मुहर

जिला अवर निबंधन पदाधिकारी
दरभंगा

1. टिप्पणी : इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति वियाग के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियो (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारो के प्रमाण पत्रों की जरूरत हों उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जयेंगी ।

(क) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी ।

(ख) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चुँकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हों ।